****

**त्वरित पदोन्नति योजना (एपीएस) के तहत श्रेणी-I के लिए सीमित विभागीय**

**पदोन्नति परीक्षा (एलडीपीई) के लिए ऑनलाइन परीक्षा**

**(सूचना संख्या04/2022 एफसीआई श्रेणी-I एपीएस के तहत एलडीपीई परीक्षा के संदर्भ में)**

**सूचना पुस्तिका**

इस पुस्तिका में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी विविध पहलुओं के ब्योरे और संबंधित विषयवस्तुओं के बारे में महत्वपूर्ण निर्देश हैं। आपको इस पुस्तिका को ध्यान से अध्ययन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मिलेगी ।

इस ऑनलाइन परीक्षा में निम्नानुसार वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्प प्रश्नावलियां होंगी :

**श्रेणी-I के लिए परीक्षा का स्वरूप**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **अनु. क्र.** | **प्रश्नावली का नाम** | **प्रश्नों की संख्या**  | **अधिकतम अंक** | **माध्यम** | **अवधि** | **भारिता** |
| पेपर 1 | सामान्य अभियोग्यता / सचेतता | 60 | 60 | द्विभाषी अर्थात्अंग्रेजी और हिन्दी | 60 मिनट | 30% |
| पेपर 2 | भाग क | 40 | 40 | 120 मिनट | 20% |
| भाग ख | 80 | 80 | 40% |
|  | **कुल** | **180** | **180** |  | **180 मिनट** | **90%** |

 परीक्षा के लिए समय 180 मिनट है; तथापि लागिंग इन, प्रवेश पत्र संग्रहण, निर्देश पढ़ने आदि के लिए आपको परीक्षा स्थल में लगभग 240 मिनट रहना पड सकता है। सभी प्रश्नावलियां अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएंगी। आप किसी भी प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर उस प्रश्नावली के लिये आबंटित समय में दे सकते है। सभी प्रश्नों में बहुविकल्प होंगे। प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा।

**आपको सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है और जिस विकल्प को आप उपयुक्त/सही समझते हैं उसे 'माउस क्लिक' करना है। आपने जिस विकल्प को क्लिक किया है वह उस प्रश्न का आपका उत्तर माना जाएगा।** **अगर आप गलत उत्तर देंगे तो दंड स्वरूप आपके अंकों में कटौती की जायेगी। ऐसे किसी भी प्रश्न के निर्धारित अंकों में से, जिसका आपने गलत उत्तर दिया है, दंड के रूप में एक चौथाई अंक काट लिए जायेंगे।**

ऑनलाइन परीक्षा के स्कोर, निम्न प्रक्रिया को अपनाकर निकाले जाते हैं :

(i) संशोधित अंकों की गणना हेतु प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या व गलत उत्तरों के लिए पेनाल्टी लगाने के आधार पर किया जाता है।

(ii) प्रत्येक प्रश्नावली एवं परीक्षा में अंतिम अंकों को दशमलव बिन्दू सहित दो अंकों तक रिपोर्ट किया जाता है।

**पाठ्यक्रम**

**पेपर 1**

**सामान्य अभियोग्यता / सचेतता**

1. सामान्य अभिक्षमता जिसमें शामिल हैं-

* रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
* सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स
* प्रबंधन और नैतिकता
* कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

**कृपया नोट करें कि इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्न केवल उदाहरण हैं सर्वांगपूर्ण नहीं हैं। वास्तविक परीक्षा में प्रश्न अधिक कठिन या अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, जिनका कि यहाँ वर्णन नही किया गया हो।**

नमूने के कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं।

**सामान्य अभियोग्यता / सचेतता**

**प्र.1.** कुछ नेता बेर्इमान होते हैं । नीलम नेता है । इन दो कथनों से निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित निष्कर्ष निकलता है ?
(1) नीलम र्इमानदार है (2) नीलम बेर्इमान है (3) कुछ नेता र्इमानदार होते हैं
(4) नेता सामान्यतः बेर्इमान होते हैं (5) नीलम कभी-कभी बेर्इमान हो जाती हैं

**प्र.2.** यदि निम्नलिखित वर्णमाला के अक्षर अपना स्थान इस प्रकार बदलें कि A, Z के स्थान पर आ जाए और Z, A के स्थान पर, B, Y के स्थान पर आ जाए और Y, B के स्थान पर आ जाए, इसी तरह आगे के अक्षर भी आपस में स्थान बदल लें, तो दाएं से तेरहवां अक्षर कौन-सा होगा ?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
(1) M (2) N (3) O (4) L (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

**प्र.3.** यदि शब्द “DEPRESSION” के पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे अक्षर को भी और पांचवे और छठे अक्षर को तथा बाद के अक्षरों को भी इसी प्रकार बदल दिया जाए तो दाएं से सातवां अक्षर निम्नलिखित में से कौनसा है ?
(1) R (2) O (3) S (4) I (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

**प्र.4.** लड़कियों की एक पंक्ति में, यदि सीता, जो बाएं से 10 वीं है और लीना, जो दाएं से 9 वीं हैं, आपस में अपने स्थान बदल लेती हैं, तो सीता बाएं से 15 वीं हो जाती है । पक्ति में कितनी लडकियां हैं ?
(1) 16 (2) 18 (3) 19 (4) 22 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

**प्र.5-7.** निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।

**एक चयन परीक्षा में लिखित परीक्षा में 300 में से और साक्षात्कार में 100 में से उम्मीदवारों के
प्राप्तांकों के अनुसार 1000 उम्मीदवारों का वर्गीकरण**

|  |  |
| --- | --- |
| **लिखित परीक्षा अंक** | **साक्षात्कार के अंक** |
| **30 से कम** | **30-39** | **40-49** | **50-59** | **60-69** | **70 और अधिक** |
| 260 और अधिक | **8** | **18** | **26** | **18** | **26** | **4** |
| 210 से 259 | **5** | **4** | **30** | **22** | **10** | **9** |
| 160 से 209 | **16** | **10** | **45** | **56** | **18** | **9** |
| 110 से 159 | **28** | **42** | **100** | **190** | **15** | **5** |
| 60 से 109 | **35** | **115** | **20** | **8** | **7** | **5** |
| 60 से कम | **32** | **32** | **20** | **4** | **6** | **2** |

**प्र.5.** कितने उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों में 69 प्रतिशत और अधिक अंक मिले हैं ?
(1) 22 (2) 49 (3) 13 (4) 9 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

**प्र.6.** लगभग 325 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करना है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए ?
(1) 20 से अधिक (2) 70 से अधिक (3) 36 से अधिक (4) 63 से अधिक (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

**प्र.7.** लगभग 42 प्रतिशत उम्मीदवार साक्षात्कार के अंकों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं ?
(1) 110-159 (2) 110 और कम (3) 50 से 70 (4) 50 और अधिक (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

**प्र.8.** प्रसिद्ध गोमटेश्वर की मूर्ती निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं ?
(1) महाराष्ट्र (2) मध्य प्रदेश (3) उत्तर प्रदेश (4) उड़ीसा (5) कर्नाटक

**प्र.9.** प्रसिद्ध अयोध्या मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है ?
(1) गंगा (2) गोदावरी (3) सरयू (4) बाण गंगा (5) नर्मदा

**प्र.10.** मौद्रिक नीति का संबंध \_\_\_\_\_\_\_\_ से है।
(1) मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन
(2) वित्तिय लिखितों के क्रय –विक्रय
(3) रोजगार घटाने होने
(4) मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन, वित्तिय लिखितों के क्रय -विक्रय और रोजगार घटाने होने सभी
(5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

**सहायक महाप्रबंधक (सामान्य प्रशासन)**

पेपर - II : भाग - क

1. भारतीय खाद्य निगम कर्मचारीवृद विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का संक्षिप्त विवरण और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओेपी)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम, 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, सरकारी योजनाएं और नवीनतम घटनाक्रम-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओेएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, लागत पत्रक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, एफसीआई की वार्षिक रिपोर्ट-पिछले पांच साल, जीएफआर नियम आदि।

पेपर - II : भाग - ख

1. सीसीएस नियम, एचआरएमएस सहित कार्मिक से संबंधित परिपत्र और निर्देश, साइलो सहित भंडारण और पीपीपी मॉडल की बुनियादी अवधारणाएं, अनुबंध, परिचालन, डीसीपी संचालन सहित खरीद, थ्रेशोल्ड पैरामीटर, निरीक्षण आदि, आईआर (एल), गुणवत्ता नियंत्रण, वाणिज्यिक / बिक्री, भंडारण हानि और मार्गस्थ हानि, जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, गनीज़ (प्रकार और विनिर्देश) आईटी के माध्यम से सामानों की ऑनलाइन खरीद और सेवाओं को किराए पर लेने सहित खरीद, डिपो ऑनलाइन सिस्टम, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण जैसी नई पहलों सहित पोर्टल (सीएफएसपी) ई-ऑफिस, सीवीसी अनिधिनम-2003 सहित सतर्कता, लिंब्स (LIMBS) सहित कानूनी विभागीय जांच कार्यवाही और दिशानिर्देश।

2. अधिनियम जैसे: अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, आरटीआई अधिनियम 2005, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण अधिनियम, 2006 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ।

भारत में खाद्यान्न परिरक्षण और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित अन्य प्रासंगिक विषय।

**सहायक महाप्रबंधक (लेखा)**

पेपर – II - भाग – क

1. भारतीय खाद्य निगम कर्मचारीवृद विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का संक्षिप्त विवरण और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओेपी)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, सरकारी योजनाएं और नवीनतम घटनाक्रम-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओेएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, लागत पत्रक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

पेपर – II - भाग – ख

1. निगम के खातों/मूल प्रविष्टियों की बहियों का रखरखाव।

2. आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली/निगम का लेखा परीक्षा कार्य लेना।

3. एफएपी- एपीपीएस-एपी, एआर, फिक्स्ड एसेट्स, जीएल मॉड्यूल।

4. एफएपी-पेरोल-कर्मचारी, श्रमिक, पेंशन, सीपीएफ।

5. बीटीएस

6. आयकर

7. वस्तु एवं सेवा कर

8. जीएफआर नियम

9. नकद प्रबंधन

10. बजट, लागत (एफसीआई के संदर्भ में), सब्सिडी आदी।

भारत में खाद्यान्न परिरक्षण और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित अन्य संगत विषय।

**सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)**

पेपर – II - भाग – क

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारीवृद विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का संक्षिप्त विवरण और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओेपी)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, सरकारी योजनाएं और नवीनतम घटनाक्रम-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओेएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, लागत पत्रक, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले पांच वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

पेपर – II - भाग – ख

1. डिपो ऑनलाइन सिस्टम का क्यूसी मॉड्यूल

2. परिपत्र और निर्देश से संबंधित

i. डीसीपी संचालन, थ्रेसहोल्ड पैरामीटर, साइलों सहित भंडारण और पीपीपी मॉडल की बुनियादी अवधारणाआें, परिक्षण और वितरण सहित खरीद।

ii. वर्गीकरण और वर्गीकरण के तरीकों के दौरान अनाज के नमूने और विश्लेषण की पद्धति और नमूनाकरण और विश्लेषण के लिए उपलब्ध उपकरण

iii. रोगनिरोधी और रोकथाम के उपचार, मानसून पूर्व धूमन।

iv. खाद्यान्नों के एक समान फोर्टिफिकेशन, विभिन्न मानकों की परिभाषा।

v. धान, चावल और गेहूं की स्वीकृति और अस्वीकृति प्रक्रिया।

vi. बीआरएल स्टॉक्स के लिए अपील प्रक्रिया।

vii. गुणवत्ता शिकायत संबंधी प्रक्रिया।

viii. राज्य पीडीएस को स्टॉक जारी करते समय संयुक्त नमूनों की प्रक्रिया।

ix. पौष्टिक चावल की खरीद और वितरण।

x. पौष्टिक चावल का फोर्टिफिकेशन और उसके परीक्षण।

xi. डीसीपी स्टॉक का निरीक्षण (दो प्रतिशत, दस प्रतिशत, पंद्रह प्रतिशत)।

xii. खाद्यान्न के एफएसएसएआई पैरामीटर।

xiii. विभिन्न प्रकार के भंडारण कीट और इसका जीवन चक्र और नियंत्रण तंत्र।

xiv. वातन की प्रक्रिया।

xv. पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि का चावल निरीक्षण एवं अन्य अनिवार्य/आवधिक निरीक्षण।

xvi. गैर-जारी करने योग्य स्टॉक का वर्गीकरण और इसके निपटान की प्रक्रिया।

xvii. 'सी एंड डी'/अपग्रेडबल स्टॉक का निपटान।

xviii. चावल का पुनर्चक्रण-पहचान और रोकथाम

xix. फीफो के सिद्धांतों के अनुसार खाद्यान्नों का निर्गम/परीचालन

xx. भंडारण/मार्गस्थ में खाद्यान्न की क्षति को रोकने के उपाय

xxi. कच्चे चावल के आयु निर्धारण के लिए मिश्रित संकेतक विधि।

xxii. भारत में खाद्यान्न परिक्षण और प्रबंधन प्रणाली से संबंधित अन्य संगत विषय।

ऊपर उल्लिखित पाठ्यक्रम केवल सांकेतिक है। पाठ्यक्रम में उल्लिखित विषयों से परे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

**ऑन-लाईन परीक्षा का विवरण :**

(1) परीक्षा ऑनलाइन अर्थात कंप्यूटर पर होगी ।

(2) सभी प्रश्न द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी व हिन्दी में होंगे ।

(3) सभी प्रश्नों में बहुविकल्प होंगे । प्रश्न के पांच उत्तर में से केवल एक सही उत्तर होगा । **उम्मीदवार के सही उत्तर चुनकर उसे उस विकल्प को 'माउसक्लिक' करना है जो सही है । क्लिक किया गया विकल्प उस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा । किसी भी प्रश्न का उत्तर, अंकन के लिये तभी मान्य होगा जब उम्मीदवार ने उसको “Save & Next” अथवा “Mark for Review & Next” के साथ सेव किया हो ।**

(4) सर्वर पर घड़ी सेट की गई है और आपके स्क्रीन पर ऊपरी दांए कोने में काउंट डाउन टाइमर आपके लिए परीक्षा पूरी करने के लिए शेष समय दर्शाएगा। घड़ी में समय पूरा हो जाने पर परीक्षा का समय स्वतः पूरा हो जाता है आपको अपनी परीक्षा समाप्त या सबमिट नहीं करनी है ।

(5) स्क्रीन के दाहिने कोने पर प्रश्न पैलेट, प्रत्येक प्रश्न के लिए निम्न में से कोई एक स्थिति प्रकट करता है :

 

 पुनर्विचार के लिए चिह्नित **(Marked for Review)** स्थिति सामान्यतः अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है जिसे आपने प्रश्न को दुबारा देखने के लिए सेट किया है । *यदि आपने किसी प्रश्न के लिए उत्तर चुना है जिसे पुनर्विचार के लिए चिह्नित किया है, तब मूल्यांकन में उस उत्तर पर विचार किया जाएगा ।*

(6) उत्तर देने के लिए प्रश्न चुनने के लिए आपको निम्नलिखित में से एक करना है :

 a. उस नंबर के प्रश्न पर सीधे जाने के लिए आपके स्क्रीन के दांए तरफ स्थित प्रश्न पैलेट पर प्रश्न नंबर पर क्लिक कीजिए। नोट करें कि इस विकल्प के प्रयोग पर वर्तमान प्रश्न का आपका उत्तर **सेव नहीं होता** है ।

 b. वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने के लिए और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए **‘Save & Next’** पर क्लिक कीजिए।

 c. वर्तमान प्रश्न का उत्तर सेव करने, उसे रिव्यू हेतु मार्क करने और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए **‘Mark for Review & Next’** पर क्लिक कीजिए ।

(7) अपना उत्तर चुनने के लिए, एक विकल्प बटन पर क्लिक कीजिए ।

(8) अपना उत्तर बदलने के लिए दूसरा वांछित विकल्प बटन क्लिक कीजिए ।

(9) अपना उत्तर सेव करने के लिए आपको **Save & Next** पर क्लिक करना चाहिए ।

(10) चुना गया उत्तर डिसिलेक्ट करने के लिए, चुने गए विकल्प पर फिर से क्लिक कीजिए या **Clear Response बटन** पर क्लिक कीजिए ।

(11) रिव्यू के लिए प्रश्न मार्क करने के लिए **Mark for Review & Next** पर क्लिक कीजिए । यदि **Marked for Review** प्रश्न के लिए उत्तर चुना जाता है तो अंतिम मूल्यांकन में उत्तर पर विचार किया जाएगा ।

(12) किसी प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए, पहले प्रश्न सिलेक्ट कीजिए और फिर नये उत्तर पर क्लिक कीजिए और उसके बाद **Save & Next** बटन पर क्लिक कीजिए ।

(13) **जो प्रश्न उत्तर देने के बाद ‘Save’ या उत्तर देने के बाद ‘Mark for Review’ किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।**

(14) उम्मीदवारों से अनुरोध हैं कि "टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर" के निर्देशों का ध्यान से अनुसरण करें । यदि कोई उम्मीदवार निर्देशों/नियमों का अनुसरण नहीं करता है तो इसे कदाचार/अनुचित तरीके अपनाने का मामला माना जाएगा और उम्मीदवार को भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्णित अवधि के लिए परीक्षाओं में बैठने से वंचित कर दिया जाएगा ।

(15) उम्मीदवार केवल परीक्षा शुरू होने से पहले टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है । परीक्षा शुरु होने के बाद किसी भी क्वेरी (शंका) का उत्तर नहीं दिया जाएगा ।

(16) दिए गए समय की समाप्ति के बाद, उम्मीदवार ना ही किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे और ना ही अपने उत्तर जांच पाएंगे । उम्मीदवार ने ‘सबमिट’ बटन क्लिक नहीं किया होगा तब भी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उसके उत्तर स्वतः सेव कर लिए जाएंगे ।

(17) **कृपया नोट करें :-**

**(**a**) परीक्षा का पूर्ण समय समाप्त होने तक उम्मीदवारों को 'फाइनली सबमिट' करने नहीं दिया जाएगा ।**

**(**b**) एक बार परीक्षा शुरू हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में कोई उम्मीदवार की-बोर्ड की किसी भी बटन पर क्लिक नहीं करेगा क्यों कि इससे परीक्षा लॉक हो जाएगी ।**

**(ब) सामान्य निर्देश :**

(1) कृपया बुलावा पत्र में तारीख, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा स्थल का पता नोट करें ।

(2) परीक्षा स्थल की पुष्टि करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा से एक दिन पहले आप परीक्षा स्थल जाकर देख सकते हैं ताकि परीक्षा के दिन आप समय पर रिपोर्ट कर सकें । देर से आने वालों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) आपका हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाकर बुलावा पत्र अपने साथ परीक्षा स्थल पर लाया जाना चाहिए। (अच्छा होगा कि वही फोटो चिपकायें, जिसे पंजीकरण के समय अपलोड किया गया हो ।)

(4) फ्रिस्कींग (मेटल डिटेक्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा) के दौरान समय बचाने के लिए उम्मीदवारों को निम्न ड्रेस कोड की सलाह दी जाती है:

* हल्के कपड़े, जिनका इस्तेमाल किसी भी यंत्र या संचार उपकरण को छिपाने के लिए नहीं किया जा सके
* आधी बांह वाले कपड़े लेकिन इनमें ऐसे बड़े बटन या ऐसा कोई भी बैज, ब्रोच आदि न लगा हो, जिनका इस्तेमाल संचार उपकरण, ब्लूटूथ, कैमरा आदि को छिपाने के लिए किया जा सके
* स्लिपर्स, सैंडल पहनें और जूते/मोजे न पहनें
* ज़िपर, बटन आदि जैसी धातु की वस्तु रहित हल्के वस्त्र पहनें
* हालांकि, प्रथागत/धार्मिक परिधान पहनकर आने वाले और पी.डब्लू.बी.डी. उम्मीदवारों को उचित तलाशी के लिए रिपोर्टिंग समय से पूर्व केंद्र पर रिपोर्ट करना चाहिए।

(5) परीक्षा स्थल पर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और भारतीय खाद्य निगम प्रतिनिधि के निर्देशों का आपको निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए । आप निर्देशों का उल्लंघन करेंगे तो आपको अयोग्य ठहराया जाएगा और परीक्षा स्थल छोड़कर जाने के लिए कहा जाएगा ।

(6) इस परीक्षा में पुस्तक, नोटबुक, कैलकुलेटर, स्केल, वॉच कैलकुलेटर, पेजर,स्केल, एल्गॉरिथ्म टेबल, **मोबाइल**, स्कैनिंग उपकरण, किसी भी इलेक्ट्रोनिक गेजेट आदि का प्रयोग वर्जित है ।

(7) बुलावा-पत्र पर आप अपना फोटोग्राफ चिपका कर और वर्तमान में वैध फोटो युक्त भारतीय खाद्य निगम पहचान का मूल प्रमाण और उसकी एक फोटोकापी साथ लाएं। कृपया ध्यान दें कि बुलावा पत्र पर लिखा गया आपका नाम (जैसा आपने पंजीकरण की प्रक्रिया में दिया है) फोटो एफसीआई पहचान पत्र पर दिखते नाम के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए। महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के पश्चात अपने पहले/अंतिम/बीच के नाम में परिवर्तन किया हो वह इस पर विशेष ध्यान दें । यदि बुलावा पत्र पर अंकित नाम और फोटो एफसीआई पहचान प्रमाण में अंतर पाया गया तो आपको परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा । उन उम्मीदवारों के मामले में जिन्होंने अपना नाम बदल लिया है, यदि वे मूल राजपत्रित अधिसूचना / अपना विवाह मूल प्रमाण-पत्र/मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करते हैं तो ही उन्हें अनुमति दी जाएगी।

 (8) बायोमैट्रिक डाटा (अंगूठे का निशान) और फोटोग्राफ परीक्षा स्थल पर परीक्षा से पहले लिया जाएगा। बायोमैट्रिक डाटा सत्यापन प्राधिकारी का इस संदर्भ में (डाटा मैच करता है या नहीं करता है) निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। **बायोमैट्रिक डाटा कैप्चर करने/सत्यापन करने की प्रक्रिया में किसी भी अवसर पर भाग लेने से इनकार करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।** इस संदर्भ में कृपया निम्नलिखित का ध्यान रखेः

(क) यदि उंगलियों पर कोई परत हो (स्याही/मेहंदी/रंग आदि लगी हुई) तो उन्हें धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा की तिथि से पहले उन पर लगी परत उतर जाए।

(ख) यदि उंगलियां मैली या धुलभरी हों तो अंगूठे के निशान के (बायोमैट्रिक) लिए जाने से पहले उन्हें धोकर सुखा लेना सुनिश्चित करें।

(ग) सुनिश्चित कर लें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हों । यदि उंगलियां नम हों तो प्रत्येक उंगली पोंछकर उसे सुखा लें।

(घ) यदि कैप्चर किया जाने वाला अंगूठा चोटिल/क्षतिग्रस्त हो तो तुरंत परीक्षा केद्र में संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें।

(इन बिन्दुओं में से किसी का भी पालन न करने पर परीक्षा में शामिल होने से वंचित रखा जाएगा।)

(9) सही व गलत उत्तरों के पैटर्न में समानता का पता लगाने के लिए आपके प्रत्युत्तरों का परीक्षा में सम्मिलित अन्य उम्मीदवारों के साथ विश्लेषण किया जायेगा। यदि विश्लेषण प्रक्रिया के अनुसार यह अनुमान/निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्युत्तरों की नकल की गर्इ है और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और/अथवा रिज़ल्ट पर रोक लगाई जा सकती है। यदि किसी अभ्यर्थी को नकल करते हुए अथवा सहायता दियेजाते /प्राप्त करते अथवा अभ्यर्थी के ना होने जैसा व्यवहार मे संलिप्त पाया जाता है तो उसके मूल्यांकन पर विचार नहीं किया जाएगा। एफसीआई ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी।

(10) बाल पॉइंट पेन, स्टैम्प पैड और रफ शीट परीक्षा स्थल पर उपलब्ध कराए जाएंगे । उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का स्टेशनरी सामान जैसे पेन, पेन्सिल, इरेजर, शार्पनर, आदि को परीक्षा स्थल पर नहीं लाना है । रफ शीट प्रदान की जाएगी जिनका उपयोग रफ कार्य के लिए या अपने उत्तर सबमिट करने से पहले परीक्षण के अंत में उस प्रश्न संख्या को लिखने के लिए किया जा सकता है जिसकी आप समीक्षा करना चाहते हैं।उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य है कि परीक्षा केंद्र पर दिये गए रफ शीट के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना नाम, पंजीकरण संख्या, परीक्षार्थी क्रमांक, एवं कम्प्युटर संख्या लिखें। रफ शीट के सभी पृष्ठों को स्टेपल करें तथा लैब/स्थल से बाहर निकलते समय, पर्यवेक्षक को सौंप दे। यदि इसका पालन नहीं होता है तो आपको इस परीक्षा के लिए गैरअर्हता माना जाएगा।

(11) परीक्षा के संचालन में किसी समस्या के आने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है जिसकी वजह से टेस्ट डिलिवरी और/या रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति मे समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा, जिसमे यदि जरुरी हुआ तो फिर से परीक्षा ली जा सकती है। इस संबंध में परीक्षा संचालन संस्था का निर्णय अंतिम रहेगा । इस तरह के परिवर्तन को स्वीकारने के लिए अनिच्छुक उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी ।

(12) परीक्षा की सामग्री या उसकी किसी अन्य जानकारी, पूर्णतया या अंशतः किसी प्रकार से बोलकर या लिखित में एलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक प्रकट करने, प्रकाशित करने, पुनः प्रस्तुत करने, ट्रांसमिट करने, स्टोर करने या उसके ट्रांसमिशन और स्टोरेज को सुगम बनाने वाले या परीक्षा कक्ष में दिए गए कागज-पत्र को ले जाने वाले या परीक्षा सामग्री को अनधिकृत रूप से रखने पर अभियोग चलाया जा सकता है।

(13) चयन के किसी भी चरण में किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन का पता चलने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि, वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चल पाता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी।

(14) किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में बुलावा पत्र का अंग्रेज़ी पाठ अंतिम रूप से मान्य होगा ।

(15) परीक्षा में अपने स्क्राइब का उपयोग करने वाले पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन विस्तृत विज्ञापन में दिए गए अनुबंध-बी के अनुसार 'स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म' जमा करना आवश्यक है।

**कृपया नीचे दिए गए सामाजिक दूरी संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढें।**

**सामाजिक दूरी संबंधी निर्देश**

1. अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर बुलावा पत्र में उल्लिखित समय अवधि के अनुसार ही रिपोर्ट करना है। देरी से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. अभ्यर्थी के अनुक्रमांक व उनके बैठने की लैब संख्या परीक्षा स्थल के बाहर नहीं दर्शाई जाएगी, पर इसे प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा स्थल पर प्रवेश करने के समय बता दिया जाएगा।

3. उम्मीदवारों के लिए स्थल में अनुमत आइटम

**अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल पर केवल कुछ निश्चित सामान लाने की अनुमति होगी**

**क. मास्क**

**ख. अपना हैंड सैनिटाइजर (50 मिली)**

**ग. परीक्षा संबंधी दस्तावेज (बुलावा पत्र तथा बुलावा पत्र जिसके साथ ID कार्ड की फोटोप्रति संलग्न हो, सत्यापन के लिए मूल ID कार्ड)**

**घ. स्क्राइब वाले अभ्यर्थियों के मामले में – विधिवत रूप से भरा व फोटोग्राफ लगाकर हस्ताक्षर किया हुआ स्क्राइब फार्म**

 **परीक्षा स्थल के भीतर कोई अन्य सामग्री लाने की अनुमति नहीं है।**

4. अभ्यर्थी को अपने किसी भी निजी सामान/सामग्री को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

5. अभ्यर्थी को एक दूसरे से सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

6. अभ्यर्थी को स्थल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पंक्ति में खड़े होना चाहिए।

7. यदि अभ्य‍र्थी स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठा रहा है तो स्क्राइब को भी अपना मास्क लाना होगा।

8. परीक्षा पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल स्टाफ द्वारा निर्देशित किए जाने के अनुरूप भीड़ लगाए बगैर व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलना चाहिए।

**आपको शुभकामनाएं**